

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत हेतु ₹ 5900.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 59,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 2

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना हेतु ₹ 1911.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 19,11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) हेतु ₹ 339.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,39,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।